(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2752–एक/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 160/अपील/2001–02

.....

बालचन्द तनय जोरिया भील
निवासी ग्राम मोहनपुरा भुरका
तहसील रानापुर जिला झाबुआ

..... आवेदक

विरूद्ध

भीमा आत्मज सुरसिंह (मृत वारिसान :–)
निवासी ग्राम मोहनपुरा भुरका
तहसील रानापुर जिला झाबुआ
1–श्रीमती गुड्डीबाई विधवा भीमा भील
2–टेकू पिता भीमा भील
3–मडिया पिता भीमा भील
4–हुसेन पिता भीमा भील
5–दीपू पिता भीमा भील
निवासीगण ग्राम मोहनपुरा भुरका
तहसील रानापुर जिला झाबुआ

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष ग्राम मोहनपुरा भूरका में स्थित भूमि खाता कमांक 90 कुल सर्वे नम्बर 12 कुल रकबा 2.84 लगान 6.75 उभयपक्ष के नाम दर्ज है, के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–5–2001 को आदेश पारित किया जाकर बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–1–2002 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–10–2002 को आदेश पारित कर अपील आधारहीन होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित है । अनावेदक के नाम सहस्वामी के रूप में अंकित नहीं है इसलिये संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत अनावेदक को बटवारे का आवेदन देने का अधिकार ही नहीं था इसलिये तहसील न्यायालय का बटवारा आदेश शून्य होकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भी शून्य है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 178 की उपधारा –1 के शब्दों से ही स्पष्ट है कि बटवारे का आवेदन देने के लिये एक से अधिक व्यक्ति खातेदार/भूमिस्वामी होने चाहिये । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हुआ था अतः उन्हें बटवारे की कार्यवाही को संहिता की धारा 178(1) के परन्तुक के अन्तर्गत तीन माह के लिये स्थगित करना चाहिये थी । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में पारित निर्णय से स्पष्ट है कि अनावेदक को खाते की सहभूमिस्वामी नहीं माना गया है । व्यवहार न्यायालय ने कही भी यह निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला है कि आवेदक के अतिरिक्त अन्य भूमिस्वामी है अतः खसरा प्रविष्टि को ही आधार बनाकर बटवारे की कार्यवाही की जा सकती है । खसरे में अनावेदक का नाम नहीं है और

न ही व्यवहार वाद में अनावेदक को सहस्वामी होना माना गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत निर्मित नियमों का उल्लघंन कर बटवारा किया गया है इसलिये ऐसा बटवारा अनियमित एवं शून्य होकर अवैध है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं बटवारे की समस्त कार्यवाही निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अनावेदक ने अपने बंटवारा आवेदन के साथ वर्ष 1999–2000 के खसरे की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 12/अ–6/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 30–01–1999 द्वारा खसरे में प्रश्नाधीन भूमि पर भीमा का नाम सहकृषक के रूप में जोड़ा गया तथा इस प्रविष्टि को कभी निरस्त किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण आवेदक ने प्रस्तुत नहीं किया है । दिनांक 2–12–1997 के व्यवहार न्यायालय के आदेश में भी आवेदक के दावे को मान्य नहीं किया गया है । इस आदेश को अपील आदि में बदला गया हो ऐसा भी कोई प्रमाण आवेदक द्वारा पेश नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने समान भाग में बटवारा करने में कोई त्रुटि नहीं की है तथा आवेदक के सभी तर्क तथ्यों के विपरीत है तथा अपने तर्को के समर्थन में आवेदक ने कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में विधिसंगत एवं न्यायसंगत कार्यवाही है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

इस संबंध में 2004 आरएन 370 में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

"धारा 50 – तीनों निचले न्यायालयों द्वारा तथ्यों के एक ही निष्कर्ष निकाले गये – उचित और वैध पाये गये – पुनरीक्षण अधिकारिता में हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।"

अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर